Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में जयपुर डिस्कॉम के 3 लाइनमैन 13 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *03 अगस्त, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा देर रात कार्यवाही करते हुये भीम सिंह जाटव, नरसीलाल बैरवा एवं जितेन्द्र कुमार सैनी तीनों लाईनमैन, जी.एस.एस. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाईमाधोपुर को परिवादी से **13 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि कनेक्शन को शिफ्टिंग नहीं होने पर कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में भीम सिंह जाटव, नरसीलाल बैरवा लाईनमैन जी.एस.एस. कबीरपुरा एवं जितेन्द्र कुमार सैनी लाईनमैन, जी.एस.एस. बहरावण्डा कलॉ, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रत्येक के लिये 5 हजार रुपये के हिसाब से **15 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–भीम सिंह जाटव पुत्र स्व. श्री नेमीचंद निवासी भालपुर पुलिस थाना वजीरपुर, सवाईमाधोपुर हाल लाईनमैन जी.एस.एस. कबीरपुरा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाईमाधोपुर 2– नरसी लाल बैरवा पुत्र श्री रामकिशोर बैरवा निवासी महेश्वरा कलॉ, पुलिस थाना सदर, जिला दौसा हाल लाईनमैन जी.एस.एस. कबीरपुरा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाईमाधोपुर को परिवादी से **5–5 हजार रुपये** एवं 3–जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री कजोड़मल सैनी निवासी रजवास शेरसिंह, पुलिस थाना लवाण, जिला दौसा हाल लाईनमैन, जी.एस.एस. बहरावण्डा कलॉ, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सवाईमाधोपुर को परिवादी से **3 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।